<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 398 / 2021

सरकार बनाम जयलाल पुत्र हरचन्द, जाति–जाट,
निवासी–बनगोठड़ी खुर्द

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक 20.12.2021

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जयलाल पुत्र हरचन्द, जांति–जाट, निवासी–बनगोठड़ी खुर्द द्वारा रोही मौजा बनगोठड़ी खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 73 कुल रकबा 32.57 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.04 है0 भूमि पर मकानात बनाकर एवं 300 वर्ग मीटर भूमि पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 21 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 43 ....
वर्ष 2021-22 में रुपये 21/- कायम किये
राजस्व लेखाकार